

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 30.10.17

मि.न.39/17

सरकार बनाम धनद्वीप स्टोन केशर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम खडब तहसील कोटपूतली के ख0 न0 37रकबा 6.27 है0 किस्म जमीन चारागाह में से0.25 है0 पर धनद्वीप स्टोन केशर ग्राम खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने डस्ट डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही कोई जबाब पेश किया गया ।लिहाला गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।


अतःग्राम खडब के खसरा नंबर 37/6.27है किस्म जमीन चारागाह में 0.25 है0 पर मै0धनद्वीप स्टोन केशर ग्राम खडब द्वारा डस्ट डाल कर अतिक्रमण को अतिक्रमण घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर डाली गई डस्ट को कब्जेराज लिया जाकर निलाम कर उक्त आराजीयात को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2.50का 50गुणा यानी 125रु. अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। उक्त पैलन्टी राशी मै0धनद्वीप-स्टोन केशर ग्राम खडब संचालक से वसूल की जावे।

निर्णयानुसार निलामी बेदखली,पैलन्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2007 .. 0.48... के रा० ले० 4  
के पृष्ठ संख्या 54... पर... 125.....  
रूपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली

  
नायब तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)